प्रपत्र I

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो०-02-18/2012(खण्ड-II)/ पटना, दिनांक-

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
वरीय संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

श्री रवि शंकर कुमार अकेला,
ग्राम-करपी, पोस्ट-तक्या करपी,
थाना-खिजरसराय, गया(बिहार)।

विषयः- **श्री रवि शंकर कुमार अकेला, पिता-श्री कामेश्वर प्रसाद, खिजरसराय, गया से प्राप्त आवेदन पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **योजना एवं विकास विभाग का पत्र प्राप्ति संख्या-39 दिनांक-04.01.2016 ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन प्राप्त आवेदन जो श्री रवि शंकर कुमार अकेला, पिता-श्री कामेश्वर प्रसाद, खिजरसराय, गया से प्राप्त हुआ है के संबंध में कहना है कि:-

1. मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के पैनल निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि ''पैनल में चयनित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें तथा सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होगें। किसी भी समय बिना कारण बताये उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है।''

   साथ ही स्थिति को स्पष्ट करने के लिये राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में निम्न आशय की सूचना भी प्रकाशित किया गया था ''मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के लिये तैयार किये गये पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी अथवा मासिक रूप से किसी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उनसे कार्य किये जाने की स्थिति में उसके एवज में उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मात्र किया जायेगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में भी होने वाली किसी भी नियुक्ति में किसी मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV की नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।''

2. विज्ञापन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया था कि मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के लिए पैनल निर्माण न तो कोई सरकारी सेवा के लिए है जिस पर नियुक्ति की जानी है और न तो नियत मानदेय के आधार पर कोई नियोजन। इसलिए पूर्व में किसी कार्य में पूर्णकालिक रूप से संलग्न होने अथवा संबंधित प्रखंड/पंचायत से बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थियों को अपना पूर्व का कार्य छोड़कर मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के रूप में आना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
वरीय संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक- 42 दिनांक- 8/01/2016

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।
5. जिला पदाधिकारी, गया।
6. वरीय पुलिस अधीक्षक, गया।
7. अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गया।
8. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खिजरसराय, गया।
9. आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

8/1/16
वरीय संयुक्त निदेशक।

8.01.16

163 Sanju 11-6-15